

29/11/21

आज यह पत्रावली प्रशासन गाँवों के
संग अभियान 2021, कैम्प कोर्ट गुरु
पंचायत शहीदवाराम में पेश हुई। मुन्ना
की कार्रवाई ड्रॉप हो चुकी है। मुन्ना
का मिलान हो जाने से 212 RT Act
का कोई ऑप्शन नहीं है।

अतः प्रकरण 212 RT Act की कार्रवाई
ड्रॉप की जावे। पत्रावली फेंकल सुभाष चंद्र उ
राजिस्टर से कम की जावे। मिलान मुन्ना उद्योग

पीठासीन अधिकारी
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021
कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत शहीदवाराम
प्रपखण्ड अधिकारी रेणी (अलवर)